वित्त निर्देश 36/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 265/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः-शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता देयकों का नियंत्रण अधिकारियों द्वारा परीक्षण।

राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय शासकीय विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयकों पर हस्ताक्षर/प्रति हस्ताक्षर करने के पूर्व नियमानुसार पात्रता एवं औचित्य संबंधी परीक्षण नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को अनुचित लाभ प्राप्त होता है तथा लेखा परीक्षा में वसूली की स्थिति भी निर्मित होती है।

2. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के भाग-25-पूरक नियम, 141 में यात्रा भत्ता देयकों पर हस्ताक्षर अथवा प्रति हस्ताक्षर करने के पूर्व नियंत्रण अधिकारी हेतु निम्नानुसार कर्तव्य निर्धारित किया गया है :-

(अ) जिन यात्राओं तथा विरामों के लिए यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत किया गया है उनकी आवश्यकता (Necessity), बारम्बारता (Frequency) तथा अवधि (Duration) का परीक्षण (Scrutinize) करें। यदि वह उचित समझता है कि कोई यात्रा अनावश्यक अथवा अनुचित रूप से लम्बी की गई है या विराम की अवधि लम्बी है तो किसी भी यात्रा या यात्रा भत्ते के दावे को पूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकता है।

(ब) यात्रा-भत्ते देयक में दर्ज दूरी की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा स्वयं को संतुष्ट करें कि इन नियमों के अंतर्गत जहां नौकरों तथा निजी सामानों आदि का वास्तविक परिवहन व्यय का दावा प्रस्तुत किया गया है उनके परिवहन की दरें उचित थीं और सामान्य रूप से अधिकतम दरें स्वीकृत नहीं की गई हैं और वह ऐसे दावों को अस्वीकृत कर दे जो उसके मतानुसार शर्तों को पूरी नहीं करते हैं।

(स) दैनिक भत्ते के बदले मील भत्ता प्राप्त करने के विकल्प के दुरूपयोग की मनोवृत्ति को रोके। रेल यात्रा के मील भत्ता प्राप्त के दावे की जांच यह देखने के

लिए करे कि क्या पूरक नियम 22-(सी) के अनुसार वापसी टिकट खरीदे जा सकते थे।

(द) रेल से जुड़े स्थानों के मध्य मोटरकार से सड़क यात्रा की आवश्यकता की सावधानी पूर्वक जांच करें।

(इ) पूरक नियम 16, 22, 24 तथा 55 के संदर्भ में, जैसी भी स्थिति हो, रेल अथवा सड़क के मील भत्ते के दावे की जांच करे। जहां पूरक नियम 16 (सी) लागू होता है वहां विशेष रूप से देखें कि क्या स्वीकार्य है।

(एफ) वह देखे कि समस्त आवश्यक रसीदें एवं प्रमाण-पत्र संलग्न किए गये हैं।

(जी) स्थानान्तर के समय शासकीय सेवक के साथ यात्रा करने वाले उसके परिवार के सदस्यों के दावों की सत्यता की जांच करें।

(एच) उन सहायक नियमों का पालन करें जिन्हें सक्षम प्राधिकारी ने उसके मार्गदर्शन के लिए बनाया हो।

3. छत्तीसगढ़ लोक आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/2008 में श्री संतोष सिंह विरूद्ध श्री भगवती सिंह, सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर के प्रकरण में पारित आदेश में भी इस तथ्य को रेखांकित करते हुए अनुशंसा किया गया है कि **भविष्य में जब किसी भी लोक सेवक द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस यात्रा देयक से संबंधित लोक सेवक द्वारा जो रेलवे अथवा हवाई जहाज से यात्रा की जाती है, उसका टिकट अथवा किसी कारण से टिकट उपलब्ध नहीं होने की सूरत में रेलवे अथवा हवाई यात्रा करने का प्रमाण-पत्र जिसमें यात्रा की श्रेणी, राशि, टिकट का पी.एन.आर. नंबर इत्यादि लिखा हो, प्रस्तुत करवाना चाहिए तथा टिकट के पी.एन.आर. नंबर इत्यादि पूरा विवरण देयक में लिखा होना चाहिए। लोक सेवक की यात्रा की श्रेणी की पात्रता भी देखनी चाहिए। इसके अलावा भी यात्रा भत्ता इत्यादि देयक को नियमों के अनुसार जांच करने के पश्चात् भी बिल को पास कर देयक का भुगतान किया जाना चाहिए।**

4. समस्त नियंत्रण अधिकारियों का ध्यान उपरोक्त बिन्दुओं की ओर आकृष्ट करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में यात्रा भत्ता देयक स्वीकृत करने के पूर्व उपरोक्त नियमों एवं कंडिका-3 में अनुशंसित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही नियंत्रण अधिकारियों का ध्यान परिवहन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 157/नि-स्था/प्रस-परिवहन/2011 दिनांक 20.06.2011 द्वारा जारी शासकीय उपयोग हेतु किराए पर वाहन लेने के संबंध में दिशा-निर्देशों **(प्रति संलग्न)** की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, विभाग उन निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करें।

(आर.एस.विश्वकर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 266/सी–18029/वित्त/नियम/चार/2011 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2011

<u>प्रतिलिपि:–</u>

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर

7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर

8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Ravi Verma

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक–157/नि.स्था./प्र.स.–परिवहन/2011 रायपुर, दिनांक 20 JUN 2011

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त निगम/मण्डल/प्राधिकरण
   छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषयः– शासकीय उपयोग हेतु किराये पर वाहन लेने के संबंध में दिशा–निर्देश।

***

यह देखा गया है कि शासकीय उपयोग हेतु जो वाहन किराये पर लिये जाते हैं, वे टैक्सी के रूप में पंजीबद्ध हैं अथवा नहीं, इसका परीक्षण नहीं किया जाता है। निजी वाहन (गैर परिवहन यान) को शासकीय उपयोग हेतु किराये पर लेना नियम विरूद्ध है तथा इससे शासन को राजस्व की हानि होती है।

2/ हॉल ही में इसी सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ लोक आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक–26/2008 श्री संतोष सिंह विरूद्ध श्री भगवती सिंह, सहायक संचालक, जन सम्पर्क विभाग में दिनांक 10.5.2011 को आदेश पारित कर यह निर्णय दिया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यों के लिए निजी वाहन किराये पर लेने के पूर्व, संबंधित वाहन टैक्सी के रूप में पंजीबद्ध है अथवा नहीं, की पुष्टि करनी चाहिए। इसके साथ वाहन के परमिट, फिटनेस आदि की भी पुष्टि आवश्यक है। निविदा में भी उक्त शर्त का उल्लेख होना चाहिए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाकर सूचित करने का कष्ट करें।

(एन.के.असवाल) 20/6/11
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग